रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-40/2020/2869/22-2-2019-17(885)/2019

लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला कारागार, गोरखपुर,** में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी **सुरेश चौबे (बन्दी संख्या-182/14)** पुत्र **श्री केशव चौबे**, जो-भौंवापार, थाना-बेलीपार, जनपद-**गोरखपुर** का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-278/2009 व 284/2010 में भा0द0वि0 की धारा-325/34, 323/34, 302, 504 व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर न्यायाधीश/कोर्ट सं0-2, गोरखपुर के आदेश दिनांक 01.09.2014 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है, बन्दी की वृद्धावस्था, संतोषजनक जेल आचरण 09 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 11 वर्ष 01 माह 28 दिन की सपरिहार सजा तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्वरिहाई की संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते है कि उक्त बंदी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-40/2020/2869(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in